

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

कोटलाल बनाम रामपसाद
मु. सं. 07/2019 (418)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

f.24

काज पत्रावली प्रार्थी कोटलाल द्वारा
प्रस्तुत करने पर तलब की गई। प्रार्थी कोटलाल
ने जोधमे वकील प्राचपर प्रस्तुत की निवेदन किया
है कि इस मुकदमा को खेचवा ले लड़ना नहीं चाहते
हैं। अतः मुकदमा खारिज फरमाया जावे। हमल
वकील प्रार्थी को हुकम एवं प्राचपर व पत्रावली
का उपलक्षण किया। प्रार्थी की तस्दीक की गैरसिद्धि
गुजरी हउने की।


कोटलाल


अतः प्रार्थी द्वारा कपन कोप नही चलाना
चाहा जमा होने प्रकरण को खारिज किया जा
सकता है। प्रार्थी को यात्रा प्रार्थी की खेचवा
के अग्राम पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैलल मुकाम है।

आदेश हुताम (11/11)


उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा